

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प.2(13)रातस/बैच-29/2019/6917

दिनांक: 29/7/19

-: आदेश :-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2016 में सफल घोषित अभ्यर्थियों को राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 34 के तहत मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 6121 दिनांक 01.07.2019 द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर/ सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय टोंक में दिनांक 03.07.2019 को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया।

निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में अवधि विस्तार (एक्सटेंशन) हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, इस क्रम में इनको दिनांक 03.07.2019 से उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक एक्सटेंशन की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री	मेरिट नं.	विस्तार (एक्सटेंशन अवधि)	विशेष विवरण
1	हेमंत सिंह शेखावत	734	31.07.2019 तक	-
2	ओम सिंह शेखावत	32	31.07.2019 तक	-

संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि उक्त एक्सटेंशन अवधि के पश्चात उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ज्वोईन नहीं करने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश नियमानुसार निरस्त कर दिये जायेंगे।

आदेशानुसार,


निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

दिनांक: 29/7/19

क्रमांक : सम/6918-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
- 2- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, राज. जयपुर।
- 3- निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
- 4- प्रधानाचार्य, सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक।
- 5- संबंधित अभ्यर्थी.....।
- 6- आदेश पंजिका।


निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर